संख्या: 03/2020/2416/छप्पन-2019-18/02 टी.सी.

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ : दिनांक: 17 जनवरी, 2020

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित आजमगढ़ एयरपोर्ट के विकास कार्यों हेतु पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 588/ना0उ0नि0/2019 दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित आजमगढ़ एयरपोर्ट के विकास कार्यों हेतु धनराशि रू0 219.975 लाख (रूपया दो करोड़ उन्नीस लाख सत्तानवे हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है | रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित आजमगढ़ एयरपोर्ट के विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराए गए वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव में परियोजना की कुल लागत जी०एस०टी० सहित रु0 2007.623 लाख (रूपए बीस करोड़ सात लाख बासठ हजार तीन सौ मात्र) बताई गई है |

2- रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित आजमगढ़ एयरपोर्ट को नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट्स के रूप में विकसित किए जाने हेतु मिट्टी भराई के कार्य को सम्मिलित कर उपलब्ध कराए गए संशोधित आगणन के परीक्षणोपरान्त प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 2053.04 लाख + जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार पर देय आंकलित की गई है |

उक्त परियोजना हेतु शासनादेश संख्या- 84/2018/1493/छप्पन-2018-18/02 टी.सी. दिनांक 14 अगस्त, 2018 द्वारा प्रश्नगत परियोजना की रु0 1821.49 लाख + जी0एस0टी0 की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त के रूप में रू0 728.596 लाख की धनराशि, शासनादेश संख्या- 27/2019/610/छप्पन-2019-18/02 टी.सी. दिनांक 15 मार्च, 2019 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 728.596 लाख की धनराशि तथा शासनादेश संख्या- 96/2019/2088/छप्पन-2019-18/02 टी.सी. दिनांक 05 नवम्बर, 2019 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 230.074 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है | इस प्रकार उक्त परियोजना हेतु अब तक कुल धनराशि रु0 1687.266 लाख अवमुक्त की जा चुकी है |

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त परियोजना की जी0एस0टी0 सहित कुल शुद्ध निविदा लागत रू0 2007.623 लाख है, जिसमें से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0- 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 के अनुसार अन्तिम किश्त हेतु 5 प्रतिशत धनराशि को रोकते हुए निम्नलिखित विवरणानुसार रू0 219.975 लाख (रूपया दो करोड़ उन्नीस लाख सत्तानवे हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की जानी है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

परियोजना का नाम	**संशोधित स्वीकृत लागत**	**परियोजना की कुल लागत GST व मिट्टी भराई के कार्य सहित (निविदा के आधार पर)**	**अब तक अवमुक्त धनराशि**	**परियोजना की अंतिम किश्त के रूप में 5% धनराशि (रोकने हेतु)**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
जनपद आजमगढ़ में नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट का विकास	2053.04 + GST	2007.623	1687.266	100.381	219.975

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित आजमगढ़ एयरपोर्ट के विकास कार्यों हेतु प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 2053.04 लाख + जी0एस0टी0 की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ शुद्ध निविदा लागत रु0 2007.623 लाख (रूपए बीस करोड़ सात लाख बासठ हजार तीन सौ मात्र) के सापेक्ष उपर्युक्त विवरणानुसार धनराशि रू0 219.975 लाख (रूपया दो करोड़ उन्नीस लाख सत्तानवे हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्रस्तर-2(8)(च) में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- 84/2018/1493/छप्पन-2018-18/02 टी.सी. दिनांक 14 अगस्त, 2018 में इंगित नियम एवं शर्तों में से शर्त/ प्रतिबन्ध सं0- 3(3) को छोड़कर शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक ''5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0- ई-7-58-दस-2020, दिनांक 16 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं ।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

संख्याः 03/2020/2416(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।। आडिट भवन टी0सी0-35-वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(3) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन, लखनऊ/ आजमगढ़ ।

(4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(5) जिलाधिकारी, आजमगढ़ ।

(6) निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।

(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

(8) समीक्षा अधिकारी (बजट)।

(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।